वास्ते आदेश
27/12/19 को पेश हो।

27/12/19

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान हाजिर है। बहस हो चुकी है।

वकील अपीलार्थी ने बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि पूर्व में रास्ता दिया था परन्तु अपील पर रिमाण्ड होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने सरपंच की रिपोर्ट पर आवेदन खारिज कर दिया जो 251 क के प्रावधानों के विपरीत है तथा तहसीलदार की रिपोर्ट में रास्ते हेतु विकल्प दिये जाने की अनुशंसा की गई थी। ख.नं. 44 गै.मु. रास्ता तक पहुंच हेतु प्रार्थी के खेतों से आवागमन हेतु न्यायोचित आवश्यकता के मद्देनजर रास्ता चाहा गया जो नहीं दिया गया। ख.नं. 285 के खातेदार मोहनराम वगैरह की सहमति भी रिकॉर्ड पर है जिसकी सीमा ख.नं. 03 से लगती है। ख.नं. 288 की प्रार्थी की भूमि में आने वाले ख.नं. 48 व 53 हेतु रास्ता ख.नं. 44 गै.मु. रास्ता तक A से B तथा C से D चाहा गया है जो वाजिब है। प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर रास्ता दिये जाने बाबत आदेश फरमावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जावे।

वकील रेस्पोंडेंट ने बहस करते बताया कि प्रार्थी के खेत तक रास्ता विकल्प रूप में उपलब्ध है। ख.नं. 12 गै.मु. ओरण में से ख.नं. 290 में होते एक ग्रेवल सड़क स्वीकृत है और उसके लिए रास्ता रूप में यह सड़क उपलब्ध है। प्रार्थी अपनी ढाणी व ट्यूबवेल तक रास्ता चाहता है जो नियमानुसार देय नहीं है। इन्होंने दूसरा विकल्प ख.नं. 286 में से भी दिये जाने का सुझाव दिया। इन्होंने सरपंच की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि इन रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खेत ख.नं. 288 एवं ढाणी तक रास्ता उपलब्ध है। ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही रूप में खारिज किया है। अपील खारिज किये जाने योग्य है खारिज फरमावें।

P.T.O.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजात का भी परिशीलन किया। राजस्व रिकॉर्ड में ख॰नं॰ 12 गै॰मु॰ ओरण में से तोलेसर से सुथारों की ढाणियों तक बताई ग्रेवल सड़क का अमल दरामद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का जो अपीलाधीन आदेश है उसका मुख्य आधार सरपंच ग्राम पंचायत नींबो का गांव की दिनांक 5.5.15 की रिपोर्ट है जिसका धारा 251 क RT Act के प्रावधानों मुताबिक कोई महत्त्व नहीं रह जाता है जब पत्रावली पर तहसीलदार की रिपोर्ट उपलब्ध हो। सरपंच द्वारा दी गई रिपोर्ट के साथ ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह पुख्ता साबित हो कि ग्रेवल सड़क ख॰नं॰ 288 में पहुंच गई है जिसका अपीलांट उपयोग करता है और वह मौके पर सुचारु आवागमन हेतु चालू है। ख॰नं॰ 289 व 290 में ग्रेवल सड़क का पूर्ण कथित भी साबित नहीं है क्योंकि इनमें विवाद के मद्देनजर ग्रेवल सड़क का कार्य रुका हुआ जानकारी में आया है। न्यायालय हाजा से मामला रिमाण्ड किया गया तब निर्देश दिये गए थे कि " वैकल्पिक मार्ग ख॰नं॰ 3 व 45 में रास्ता हेतु प्रमुख रास्ते की जांच कर [illegible] आपत्तियों का निस्तारण कर सारगर्भित निर्णय दिया जावे। इस संबंध में तहसीलदार बालेसर ने पुनः ख॰नं॰ 13 व 243 में से रास्ता देने की सिफारिश की, जैसा कि अपीलाधीन निर्णय/आदेश में स्पष्ट इंगित किया गया है। वास्तव में वह ख॰नं॰ 13 की बजाय 03 है। ख॰नं॰ 44 गै॰मु॰ रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अपीलांट के खेत ख॰नं॰ 288 के लिए तहसीलदार, बालेसर की रिपोर्ट मुताबिक दूसरा वैकल्पिक रास्ता सीधा ख॰नं॰ 44 गै॰मु॰ रास्ता से मौजा घुड़ियाला के खेत ख॰नं॰ 283, 285 मौजा घुड़ियाला व ख॰नं॰ 3 मौजा खुडेरी सांसण की	

[signature] अपील अधिकारी P.T.O
[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मेड़ो से होता हुआ पुष्पारों की ढाणी व पदमाराम (अपीलांट) की ढाणी तक जाने हेतु सीधा व सुलभ है। अपीलांट के खेत ख.नं० 53 व 48 के लिए रास्ते की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ख.नं० 53 जै.मु० रास्ते से जुड़ा हुआ है और ख.नं० 53 ख.नं० 48 की उत्तरी सीमा है इसलिए इन दोनो खसरों के संबंध में रास्ता दिये जाने बाबत किसी प्रकार के आदेश करना उचित नहीं है। अपीलांट को मात्र ख.नं० 288 के लिए रास्ता दिया जाना है। इसके लिए तहसीलदार, बालेसर की रिपोर्ट उनके पत्रांक/राजस्व/2014/836 दि. 22/7/14 स्पष्ट है। ख.नं० 285 के खातेदारों ने अपनी लिखित सहमति रास्ते हेतु प्रदान कर दी है इसलिए इस खसरे के संबंध में रास्ता सार्वजनिक रूप से कायम करने में कोई आपत्ति नहीं है जैसा कि पटवारी की रिपोर्ट जो SDO शेरगढ़ के पत्रांक 1715 दि. 1.10.2012 के संबंध की जवाब रिकॉर्ड में उपलब्ध है। इस रिपोर्ट पर सहमति स्वरूप खातेदारों के हस्ताक्षर भी मौजूद है। अब ख.नं० 288 तक पहुँच हेतु मात्र ख.नं० 3 ही जै.मु. रास्ता ख.नं० 44 के मध्य रह जाता है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध एक मौका रिपोर्ट दि. 27/8/13 के मुताबिक ख.नं० 3 ग्राम खुवेरी सांसण में A से B (लाल स्याही से इंगित) रास्ता की दूरी 78 गट्ठा लंबा व 3 गट्ठा चौड़ा कुल रकबा 12 बिस्वा (0.12 बीघा) बारह बिस्वा मात्र है जो प्रदान किया जाना उचित है। यह रास्ता तहसीलदार, बालेसर की रिपोर्ट मुताबिक सबसे उपयुक्त, सीधा, सुलभ है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रदान करने के लिए उपलब्ध नहीं है।	
	उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपीलांट के खेत ख.नं० 288 मौजा धुड़ियाला में आवागमन हेतु धारा 251'क' RT Act के तहत आत्यंतिक आवश्यकता के कारण ख.नं० 285 एवं ख.नं० 3 (मौजा खुवेरी सांसण) में से होते हुए ख.नं० 44 जै.मु. रास्ता तक प्रदान किया जाता है। चूंकि ख.नं० 285 के खातेदारों ने रास्ते के लिए अपनी लिखित सहमति प्रदान कर दी है इसलिए	

[signature] अधिकारी

P.T.O.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

केवल ख० नं० 3 मौजा सुवेरी सांसण के लिए रास्ते में आने वाली भूमि का प्रतिकर (मुआवजा) निर्धारण किया जाना है। तहसीलदार बालेसर की रिपोर्ट दि. 27/8/2013 के अनुसार इसका रकबा (78 गट्ठा लंबा एवं 3 गट्ठा चौड़ा) 12 बिस्वा की राशि DLC दर 9650 रु० प्रति बीघा की दर से दुगुना रु० 11580 (ग्यारह हजार पांच सौ अस्सी रुपये मात्र) निर्धारित प्रतिकर होगा। यदि DLC दर परिवर्तित हो गई है तो तदनुसार गणना कर भुगतान किया जावे।

अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर उसके खेत ख० नं० 288 मौजा घुड़ियाला में आवागमन हेतु ख० नं० 285 (आपसी सहमति से प्रदत्त) तथा ख० नं० 3 मौजा सुवेरी सांसण में (रिपोर्ट दि. 27/8/13 में इंगित A से B बरंग लाल) 3 गट्ठा चौड़ा रास्ता प्रदान किये जाने के आदेश दिये जाते हैं और अपीलाधीन आदेश दि. 8.5.2015 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बालेसर को आदेशित किया जाता है कि ख० नं० 3 के खातेदारों को, निर्धारित प्रतिकर राशि अपीलांट से ली जाकर, भुगतान करने के पश्चात उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का अमल दरामद करे। आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड भिजवाया जावे।

(हस्ताक्षर)